न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अम्बेडकर नगर।

CNR No. UPAN010046682026

Bail Application/742/2026

मो0 रज्जाक उम्र लगभग 36 वर्ष पुत्र स्व0 बुलाकी निवासी मो0 बंजारा टोला, इस्लामाबाद लोरपुर ताजन थाना को0 अकबरपुर, जनपद– अम्बेडकर नगर।

–––––– प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार –––––––– विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या– 08/2026
धारा– 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986
थाना– को0 अकबरपुर,
जनपद– अम्बेडकर नगर।

02.06.2026

1. वर्तमान प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त मो0 रज्जाक द्वारा उपर्युक्त प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है तथा कथन किया गया है कि यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है किसी अन्य न्यायालय या मा0 उच्च न्यायालय द्वारा न तो निर्णीत है और न ही विचाराधीन है। जमानत प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि, थानाध्यक्ष को0 अकबरपुर द्वारा प्रधान लेखक थाना को0 अकबरपुर को इस आशय की तहरीर दी गयी कि, गैंग लीडर मो0 रज्जाक पुत्र स्व0 बुलाकी ने अपने सह अभियुक्त मो0 इसरार पुत्र दरगाही व रूखसाना बानो पत्नी मो0 रज्जाक निवासीगण नि0 बंजारा टोला इस्लामाबाद लोरपुर ताजन थाना को0 अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर को एक संगठित गिरोह है जिसका गैंग लीडर मो0 रज्जाक उपरोक्त है जो अपने व अपने गैंग के सदस्यों के निजी आर्थिक, एवं भौतिक व दुनियाबी लाभ हेतु गोवंशीय पशुओं की हत्या कर उनके मांस को विक्रय करने जैसे अपराध कारित कर धनोपार्जन किया जाता है। उपरोक्त गैंग लीडर व गैंग के सदस्य द्वारा किये गये कृत्य से एक वर्ग विशेष वआम जन मानस में काफी रोष व्याप्त होता है और इस गैंग का इतना आतंक है कि जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरूद्ध मुकदमा लिखाने व गवाही देने का साहस नहीं जुटा पाता है। उपरोक्त गैंग लीडर व उसके सदस्य के द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से अपना तथा अपने परिवार का

Digitally signed by PARVIND KUMAR
Date: 2026.06.02 17:24:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

भौतिक व आर्थिक जीवन यापन एवं भरण पोषण करते है। इस गैंग का स्वतंत्र एवं स्वछंद रहना व भ्रमण करना जनहित में न्यायति में नहीं है। अभियुक्तगण का यह कृत्य गैंगस्टर एक्ट की धारा 2ख की उपधारा 17 से आच्छादित है। उक्त गैंग का गैंगचार्ट श्रीमान् नोडल अधिकारी द्वारा तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट अम्बेडकरनगर से दिनांक 02.01.2026 को अनुमोदित कराकर मय गैंगचार्ट व रिपोर्ट अभियोग पंजीकृत कराने हेतु आदेशित कर थाने पर भेजा गया है। उक्त गैंग के विरूद्ध अनुमोदितशुदा गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 की धारा 3(1) में अभियोग पंजीकृत करे।'' उपर्युक्त तहरीर के आधार पर थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

3. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी सीधा– साधा शान्तिप्रिय व्यक्ति है झूठे तथ्यों के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। गैंगचार्ट में दर्शित मुकदमे में अभियुक्त की जमानत हो चुकी है। प्रार्थी के पास कोई मकान नहीं है। पल्ली लगाकर अपना व अपने माता पिता तथा परिवार के साथ भरण– पोषण करता है। उक्त मुकदमें में प्रथम सूचना रिपोर्ट बिना किसी स्वतंत्र साक्षी व किसी पब्लिक के शिकायत के बिना ही रिपोर्ट दर्ज की गयी है। प्रार्थी दिनांक 26.09.2025 से जिला कारागार अम्बेडकर नगर में निरूद्ध है। स्थानीय थाने की पुलिस प्रार्थी को घर से पकड़कर ले आयी और फर्जी मुकदमा कायमकर प्रार्थी को जेल में भेज दिया गया। प्रार्थी ने कोई अपराध कारित नही किया है। प्रार्थी का न तो कोई गिरोह है और न ही किसी गिरोह व संगठन का सदस्य ही है। दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क किया गया है कि अभियुक्त आदतन अपराधी है तथा गैंग बनाकर अपने अन्य साथियों के साथ अपराध कारित करता है यदि जमानत पर रिहा किया गया तो वह पुनः अपने गैंग के साथ अपराधों में संलिप्त होगा। थाने की आख्यानुसार, अभियुक्त का विस्तृत आपराधिक इतिहास है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

5. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्क सुने तथा सम्बन्धित प्रपत्रों का परिशीलन किया।

6. उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 19(4)(बी) प्रावधानित करती है कि जब तक न्यायालय की संतुष्टि इस बावत नहीं हो पाये कि अभियुक्त को दोषी मानने का पर्याप्त आधार नहीं है कि जमानत पर रिहा किये जाने के उपरान्त उसके द्वारा किसी अपराध को किये जाने की सम्भावना नहीं है, उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जायेगा।

7. प्रश्नगत मामले में गैंगचार्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त के

विरूद्ध 01 मुकदमा दर्ज है, जो गौ– हत्या जैसे गंभीर अपराध से संबंधित है। इस स्तर पर तहरीर एवं अन्य प्रपत्रों के अवलोकन के उपरान्त न्यायालय के समक्ष यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार नहीं है कि अभियुक्त उक्त अपराधों को कारित करने का दोषी नहीं है और जमानत पर रिहा होने के उपरान्त उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया जायेगा। अतः उक्त परिस्थितियों में अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र गुण–दोष पर विचार व्यक्त किये बिना निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

8. प्रार्थी/अभियुक्त मो0 रज्जाक का जमानत प्रार्थना पत्र मु0अ0सं0– 08/2026, अन्तर्गत धारा– 3(1)उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना को0 अकबरपुर जनपद अम्बेडकर नगर के प्रकरण में निरस्त किया जाता है।

(परविन्द कुमार)
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर ऐक्ट
अम्बेडकर नगर।
I.D No. UP01837

दिनांक– 02.06.2026